C-2

B.Ed. 1st Year

Course-2 RIGHT TO EDUCATION, 2009

शिक्षा का अधिकार : 2009

जिस प्रकार एक ओर शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिये भी आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की भांति समाज भी शिक्षा के चमत्कार से लाभान्वित होता है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ियों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक संपत्ति को इस प्रकार हस्तांतरित करता है कि उनके हृदय में देश-प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्ज्वलित हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास में शिक्षा परम आवश्यक है। सन् के दशक तक हमारी सम्पूर्ण जनसंख्या का केवल एक चौथाई हिस्सा ही शिक्षित वर्ग में आता था। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिये यह सबसे बुरा समस्या है क्योंकि इस अवस्था

Scanned with CamScanner

में शासन पद्धति का सुचारु रूप से चलना संभव नहीं होता है। इसीलिये भारत में शिक्षा के सुधार के लिये समय-समय पर कई आयोग तथा नीतियाँ बनी, जिनके क्रियान्वयन के आधार पर ही आज साक्षरता दर बढ़ती दिख रही है। स्वतंत्रता से पूर्व बढ़ती हुई निरक्षरता को देखकर ही शिक्षा के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाये गये हैं जिसमें से एक RTE 2009 है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे।

## RTE 2009

जब हम शिक्षा को घर-घर पहुँचाने की बात कर रहे हैं तो शिक्षा के आँकड़े हमें बता देते हैं कि हम कितने कदम दूर हैं। भारत में 11 से 17 वर्ष के करोड़ों बच्चे हैं जो केवल आर्थिक कमाई का साधन हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 9.1% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में काफी कर रहे हैं। ये विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुये देखे जा सकते हैं, जैसे: जूते पॉलिश, ढाबे

Scanned with CamScanner

में, रोड के किनारे, मशीनो को ठीक करते हुये, होटलो मे वेटर के रूप में तथा कूड़ा बीनते दिख जाते है। लड़कियाँ अधिकतर घरो का काम करती है, वे अपने छोटे भाई बहनो की देखभाल, खाना बनाना, कपड़े धोना इस प्रकार उनके माता-पिता को आर्थिक रूप से चिंता नही होती है।

सन 2000 मे डकार सम्मेलन मे अन्तराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अनके देश पूर्व सम्मेलन मे निर्धारित लक्ष्यो तक नही पहुँच पाये तथा इस तथ्य पर सहमत हुये कि वर्ष 2005 तक शिक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्यो की पूर्ति हो पायेगी। इसमे 6 लक्ष्य निर्धारित किये गये जिससे सबको शिक्षा मिल सके।

1) पूर्व बाल्यकाल एंव शिक्षा
2) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।

Scanned with CamScanner

3) युवा व प्रौढ़ो की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति
4) प्रौढ साक्षरता
5) लैंगिक समानता
6) गुणवत्ता परक शिक्षा।

1948 मे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक शिक्षा सम्मेलन कहा था बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योकी उसके बगैर वह बतौर नागरिक जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा सकता है। भारतीय संविधान मे बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण धाराएँ व उपबंध है, जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। धारा 45 मे अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 मे स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी ~~सकार~~ अधिकार को बनाये रखने के लिये 86 वें संविधान संशोधन मे अनु० 21 क को शामिल

Scanned with CamScanner

किया गया है, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इस अधिनियम में मुख्य रूप से सात अध्याय हैं, जो विभिन्न सेक्शनों में बाँटे गये हैं।

## मुख्य विशेषताएँ

1) 6 से 14 तक की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।

2) सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगी और विद्यालयों का प्रबन्धन समीतियों द्वारा किया जायेगा। निजी विद्यालय 25% बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क के करेगी।

3) गुणवत्ता सहित प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिये राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4) शिक्षक छात्र अनुपात 1:3 का होगा।

5) शिक्षा की उपलब्धता में अनिवार्य सुधार।

6) स्कूल शिक्षक को पांच वर्षों के भीतर समुचित प्रशिक्षण डिग्री प्राप्त करनी होगी।

7) स्कूल का बुनियादी ढाँचा 3 वर्षों के अंतर्गत सुधार। जाये अन्यथा उसकी मान्यता रद्द का दी जायेगी।

8) वित्तीय बोझ में राज्य तथा केन्द्र सरकार के बीच समझौता किया जायेगा।

9) प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जायेगा, निकाला नहीं जायेगा या कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Scanned with CamScanner